उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–247/ग्यारह–9(341)/09–उ0प्र0अधि0–5–08–आदेश–( )–2010

लखनऊ::दिनांक::25- फरवरी, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग), के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि निर्माता–निर्यातकों को उसके द्वारा निर्मित माल के उपयोग या उसके द्वारा निर्मित माल के पैकिंग के उपयोग के लिये किसी कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, कन्ज्यूमेबुल स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज, पुर्जों, लुब्रीकैन्ट्स, पेट्रोल और डीजल से भिन्न ईंधन और पैकिंग सामग्री की सीधी बिक्री या सीधी खरीद के व्यापारावर्त पर दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से उक्त अधिनियम के अधीन कोई कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन संदेय नहीं होगा :–

शर्तें

(एक) उक्त सुविधा केवल तभी उपलब्ध होगी, जब निर्मित माल का निर्यात भारत के बाहर किया जाय;

(दो) विक्रेता व्यवहारी को इस सुविधा का लाभ निर्माता–निर्यातक से प्राप्त कमिश्नर द्वारा विहित प्रपत्र में घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होगा;

(तीन) यदि निर्मित माल का निर्यात भारत के बाहर नहीं किया जाता है, तो इस अधिसूचना के लाभ का दावा करने वाले निर्माता–निर्यातक व्यापारी ऐसे माल के क्रय पर उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान का और ऐसे माल के क्रय के दिनांक से ब्याज का भी दायी होगा और यदि ऐसे निर्मित माल का निर्यात भारत के बाहर किया जाता है और उसे अन्यथा बेचा या विक्री से अन्यथा उसे व्ययनित किया जाता है तो कर के लिये दायी ऐसे माल की खरीद निर्यात किये गये माल और अन्यथा बेचे गये या विक्रय से भिन्न व्ययनित माल की मात्रा के अनुपात के अनुसार अवधारित की जायेगी;

(चार) निर्माता–निर्यातक कर अवधि में किये गये निर्यात के सम्बन्ध में निर्यात का प्रमाण यथा–फार्म–एच, बिल आफ लेडिंग, एअर–वे बिल आदि कर अवधि समाप्ति के तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा;

(पॉच) यदि इस अधिसूचना के अधीन निर्माता–निर्यातक उक्त सुविधा का दुरूपयोग करते हुए पाया जाता है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 54 के अधीन दाण्डिक कार्यवाहियों का दायी होगा;

(छः) इस अधिसूचना के अधीन उक्त सुविधा का दुरूपयोग किये जाने की स्थिति में अभियोजन की कार्यवाहियॉ भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन की जा सकती है।

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. KA.NI.-2- /XI-9(341)/09-U.P.Act-5-08-Order-( )-2009 dated February , 2010 for general information:

NOTIFICATION

No.- KA.NI.-2- 247/XI-9(341)/09-U.P.Act-5-08-Order-( )-2010
Lucknow::Dated::February 24, 2010

In exercise of the powers under clause (c) of section 7 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P.Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to direct that no tax shall be payable under the said Act, with effect from April 01, 2010 on the turnover of direct sale to or direct purchase by manufacturer-exporter of any raw materials, processing material, consumable stores, spare parts, accessories, components, lubricants, fuel other than petrol and diesel and packing materials for use in the manufacture of goods by him or in the packing of goods manufactured by him subject to the following conditions:

CONDITIONS

(i) the above facilities will be available only when, the manufactured goods is exported out of India;

(ii) the benefit of this facility shall be available to the selling dealer on the submission of declaration, in the Form prescribed by the Commissioner, obtained from the manufacturer exporter;

(iii) if the manufactured goods are not exported out of India, the manufacturer-exporter claiming the benefit of this notification, shall be liable to pay tax, according to the provisions of the aforesaid Act, on the purchase of such goods and also interest from the date of purchase of such goods and if such manufactured goods are exported out of India and also sold otherwise or disposed off otherwise than by way of sale, then the purchase of such goods liable to tax shall be determined in accordance with the ratio of quantity of exported goods and goods otherwise sold or disposed off otherwise than by way of sale;

(iv) the manufacturer-exporter, for the export made during a tax period, shall submit the proof of export e.g.- Form-H, Bill of lading, Airway bill etc. within three months of the end of the tax period ;

(v) if the manufacturer-exporter is found having misused the facility under this notification, he shall be liable for penal proceedings under section 54 of the Act;

(vi) in case of misuse of the facility under this notification prosecution proceedings may be undertaken under the relevant sections of the Indian Penal Code.

By order,

(Desh Deepak Verma)
Pramukh Sachiv